The Bhoomi Arjan (The Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1972

Act 28 of 1972

Keyword(s):
Bhoomi Arjan Act, 1894

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

135849

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1972)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 27-5-1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 18-1-1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 29-6-1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3-7-1972 ई० को प्रकाशित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में अग्रेतर संशोधन करने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रवृत्ति

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह संघ के प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सभी भूमि अर्जन के संबंध में लागू होगा।

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:— अधिनियम संख्या 1, 1894 की धारा 6 का संशोधन

"परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्ववर्ती परन्तुक में अभिदिष्ट तीन वर्ष की अवधि की गणना करने में वह समय, जिसके दौरान राज्य सरकार किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा या उसके परिणामस्वरूप ऐसी घोषणा करने से निरोधित थी, सम्मिलित नहीं किया जायगा :"

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 15-5-1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

Price 0.05 Paise.

धारा 23 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 23 में—

(क) उपधारा (1) में, प्रथम खंड का स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(2) भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उपबंधित किया गया है, न्यायालय हर मामले में ऐसे बाजार मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि अर्जन के वैवश्यिक प्रकृति होने के फलस्वरूप अधिनिर्णीत करेगा।"

ऐक्ट संख्या 13, 1967 की धारा 4 का संशोधन

4—लैण्ड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट ऐण्ड वैलीडेशन) ऐक्ट, 1967 की धारा 4 में, उपधारा (2) के अन्त म निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायें और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायं, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि उक्त अवधि की गणना करने में वह समय, जिसके दौरान राज्य सरकार किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा या उसके परिणामस्वरूप ऐसी घोषणा करने से निरोधित थी, सम्मिलित नहीं किया जायगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि ऐसे हर मामले में जिसमें पूर्ववर्ती परन्तुक लागू हो, उक्त अवधि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970 के प्रारम्भ होने से तीन महीने की समाप्ति के पूर्व समाप्त हुई न समझी जायगी।"

वैधीकरण

5—किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी लण्ड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट एण्ड वलीडेशन) आर्डिनेंस, 1967 के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित की गई किसी भूमि के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 6 के अधीन की गयी कोई घोषणा, यदि वह एतद्द्वारा संशोधित लण्ड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट ऐण्ड वैलीडेशन) ऐक्ट, 1967 की धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर की गयी हो, इस आधार पर अवैध न समझी जायगी और सदैव से ही अवध न समझी जायगी कि वह उक्त आर्डिनेंस के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् की गयी थी, और तदनुसार, ऐसी घोषणा के अनुसरण में किया गया कोई अजन और ऐसे अर्जन के संबंध में की गयी कोई कार्यवाही या किया गया कोई कार्य (जिसके अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश, किया गया अनुबन्ध या प्रकाशित अधिसूचना भी है) केवल उक्त आधार पर अवैध नहीं समझा जायगा और कभी भी अवध रहा नहीं समझा जावेगा।

पी० एस० यू०पी०—ए० पी० 139 जनरल (लेग०)—1972—1,834+50।